

डिग्री इमुकदमें ईत्तदाई
 अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
 पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
 प्रकरण संख्या- 80/2019

1. विनोद पुत्र बनवारी पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
 वादी

बनान्

1. बनवारी पुत्र श्रीराम } जाति जाट निवासीयान भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला
 2. श्रवण पुत्र बनवारी } हनुमानगढ़।
 3. साहब्राम पुत्र बनवारी }
 4. परमेश्वरी पुत्री बनवारी पत्नी कृष्णलाल जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
 5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी/तलवाड़ा
 6. उपपंजीयक महोदय, टिब्बी/तलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्टई रोबरू हनारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी निन जानिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण निन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक्रनं० 13 आर डबल्यू डी के प०न० 230/384 नु० 53 किलानं० 12/2/237, 13/2/237, 14/2/237 है० कुल 711 है० आराजी में से वादी को 1/5 हिस्सा भूमि का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाकर चक्रनं० 13 आर डबल्यू डी के खाता सं० 55/100 ने से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अनिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहने मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरानद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा
 मुकदमें के प्र-मुद-वा-शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
 अदा करें।
 बत्तब नरे दस्तखा एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-19को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
 सहायक कलक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी